Dcopy

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–21/2015 101 पटना, दिनांकः 09-03-18

कार्यालय आदेश

श्री संतोष कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, ओबरा के विरूद्ध धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम वर्ष 2014–15 में अनियमितता बरतने के कारण जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 799/आ० दिनांक 24.06.2015 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आरोप के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 205 सहपठित ज्ञापांक 1282 दिनांक 14.08.2015 के द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, एवं निदेशालय के का०आ०सं०–184 सहपठित ज्ञापांक 1446 दिनांक 22.07.2016 द्वारा अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को सचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1922 रा० दिनांक 22.07.2017 के द्वारा श्री सतोष कुमार सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने श्री सिंह के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत निष्कर्ष दिया है कि " श्री संतोष कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, ओबरा प्रखंड, औरंगाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नगरनौसा प्रखंड, नालंदा के द्वारा लगाये गए आरोप के विरूद्ध लिखित स्पष्टीकरण समर्पित किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्होंने आरोप से बचने के लिए मनगढ़त एवं उच्च पदाधिकारियों पर बेबुनियाद आरोप लाया गया है।

अतः श्री संतोष कुमार सिंह तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, ओबरा प्रखंड, औरंगाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक नगरनौसा प्रखंड, नालंदा पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होता है।

3. विभागीय कार्यवाही में सचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होता है के प्रतिवेदन के आलोक मे संचालन प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए निदेशालय के पत्रांक 1902 दिनांक 01.09.2017 द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह से उस पर अभ्यावेदन की मॉग की गयी थी इसके आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनाक 16.02.2018 मे निम्न बिन्दुओं को अंकित किया गया है :–

विषम एवं विपरीत परिस्थिति में, अल्पसंसाधन में विधि व्यवस्था को देखते हुए साफ सुथरा ढग से मोरे द्वारा कार्य सम्पन्न किया गया है। अधिप्राप्ति के दौरान क्रय केन्द्र पर जिला पदाधिकारी, वरीय प्रभारी पदाधिकारी, एवं बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना के द्वारा भ्रमण किया गया था, जिसमें कोई नकारात्मक टिप्पणी नही किया गया था।

तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वर्त्तमान अपर समाहर्त्ता –सह–जॉच पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा सभी बिन्दुओं पर मेरे पक्ष एवं साक्ष्य को स्वीकार करते हुए कोई मंतव्य नहीं दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि मेरे पक्ष से सहमत है, पर अंत मे आरोप प्रमाणित करना अपने आप में विरोधाभाषी है जिसमे उन्हें न्याय नही मिला है।

02955 स्था० 1 (07 मार्च 2018) सतोष कुमार सिह

4 श्री सिंह के अभ्यावेदन में उन्ही तथ्यों को दिया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को भी दिया गया था, जिसके समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अपने अभ्यावेदन में इन्होंने यह स्पष्ट नही किया है कि उनके द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना नहीं हुई है।

आरोप प्रपत्र, संचालन प्रतिवेदन तथा श्री संतोष कुमार सिंह के अभ्यावेदन से यह स्पष्ट होता है कि श्री सिंह अपने वरीय पदाधिकारियों आदेश को नजरअंदाज करते हुए मनमाने ढंग से कार्य किया है। अतः श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 16.02.2018 स्वीकार योग्य नहीं है और इनपर लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है।

5. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपो के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह पर संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संतोष कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, ओबरा –सह–धान क्रय केन्द्र प्रभारी ओबरा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नगरनौसा प्रखंड, नालंदा पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–21/2015 595 पटना, दिनांकः 09-03-18

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/नालंदा।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/नालंदा।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद/नालंदा।
5. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरनौसा, नालंदा।
7. श्री सुदामा कुमार, आई० टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री संतोष कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक –सह–धान क्रय केन्द्र प्रभारी, ओबरा प्रखंड, औरंगाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नगरनौसा प्रखंड,नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/3/18
निदेशक

02955 स्था0 1 (07 मार्च 2018) संतोष कुमार सिंह